



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०ब०-२५/२०१८-१२६ दिनांक : ०८/१०/१८

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल / लातेहार वन प्रमण्डल / गढ़वा
उत्तरी वन प्रमण्डल / गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वयन की जाने वाली "सिल्विकल्वर ऑपरेशन"
योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं
भू-संरक्षण वृक्षारोपण कार्य हेतु रु० 628.680 (छ: करोड़ अठाईस लाख
अड़सठ हजार रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub
Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो०ब०-३७/२०१८-२०/स्वी० व०प० दिनांक
२७.०७.२०१८ एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या ०४ / यो०ब०जट-३७/२०१८-
६१ / आ० व०प० दिनांक ०२.०८.२०१८ ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य
शीर्ष-२४०६-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लघु शीर्ष-१०१ वन संरक्षण,
विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-४० सिल्विकल्वर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष
2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु० 628.680 (छ: करोड़ अठाईस
लाख अड़सठ हजार रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया
जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101400103	403.546
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101400323	225.134
कुल :-		628.680

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के
अनुलग्नक-१ पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी
संबंधित जिले के कोषागार / उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने समुख अंकित कार्यों की
राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय
प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-२, स्थल विवरणी
अनुलग्नक-३ पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-४ पर द्रष्टव्य है।

9

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601101400103 एवं 19S240601101400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. योजना का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत स्थल का घनत्व खुले वन / सामान्य वनों की श्रेणी में आता हैं एवं स्वीकृत स्थल इस कार्यालय के पत्रांक 641 दिनांक 30.05.2018 द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप है। कार्य करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography कारवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल-मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि के करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हेक्टेएर लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाएगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाएगा। किसी अन्य संस्था से पौधों का क्रय वित्तीय अनियमितता माना जाएगा, जिसके लिए अनुशासनहीनता एवं वित्तीय अनियमितता के आरोपों के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

6. वन संवर्द्धन कार्य के दौरान खूंटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोड़कर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया

जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना



सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-25/2018-1268 दिनांक- ०४/१०/१८

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, पलामू/गढ़वा/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-25/2018-1268 दिनांक- ०४/१०/१८

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, पलामू/गढ़वा/लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्वरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हेठले वृक्षारोपण अग्रिम कार्य एवं तीन वर्षों के लिए समापन एवं सम्पोषण कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेठले)	2018-19 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			23738.00	13243.14	36981.14
पलामु रीजन					
1	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	500	118.690	66.215	184.905
2	लातेहार वन प्रमण्डल	400	94.952	52.973	147.925
3	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल	400	94.952	52.973	147.925
4	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल	400	94.952	52.973	147.925
योग:-		1700	403.546	225.134	628.680

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

योजना का नाम : सिल्विकल्वरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण
(Open Forest (10--40 प्रतिशत घनत्व) with adequate root stock)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (₹० में) : 237.38

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹० मे०)	सामग्री (₹० मे०)	कुल खर्च (₹० मे०)	अतिरिक्त
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 237.38						
1	संरक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	712.14	0.00	712.14	
2	कटबेक / कॉपसिंग, वलाइब्वर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हे०	15	3560.70	0.00	3560.70	
3	न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुपोदन से मरीन द्वारा ट्रैच/पथर धेरान अथवा झाड़ी धेरान (i) ट्रैच धेरान— ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी०, गहराई 1.22 मी०, ड्रेसिंग सहित (ii) पथर धेरान— ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी०, ऊँचाई 1.00 मी० (iii) झाड़ी धेरान	प्रति हे० औसतन 6 चेन	12	2848.56	11782.74	14631.30	प्रति हे० ट्रैच धेरान 6 चेन का प्रावधान है किन्तु स्थल पर भूगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा
4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) 0.091 क्यू० मी० अधिकतम 200 पीट प्रति हे० (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	20	4747.60	0.00	4747.60	
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य — कंटूर ट्रैच — अधिकतम 50 कंटूर, साईज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मीटर से 3 मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना।		40	9495.20	500.00	9995.20	अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंटूर ट्रैच का निर्माण किया जायेगा। कंटूर ट्रैच के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।
6	गली प्लगिंग	हे०	6	1424.28	0.00	1424.28	
7	स्थाई पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।	220	2	474.76	960.40	1435.16	स्थाई पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए ₹ 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी।
8	वनों की सुरक्षा		2	474.76	0.00	474.76	
	योग—	100	23738.00	13243.14	36981.14		

प्रधान मुख्य वन सरकारी विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कार्यान्वित की जाने वाली "सिन्धीफल्लर ऑपरेशन योजना" (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हेठला वृक्षारेपण अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी

क्र० सं	वन प्रमाणल का नाम	वन प्रदेश का नाम	प्रदेश का नाम	PRRF का नाम	स्थान का नाम/ वाना स्थान	जनशिक्षण वर्ग- अपेक्षा	लोट नंबर		विवर (लेटर)						
							i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
पलायू रीजन:-															
							मनातू	मनातू	उदयपुरा	मनातू- 506	N 24° 05'46" E 84° 30'15"		1 पी		50
							छतरपुर परियमी	हरिहरगांज	बेराई	हरिहरगांज- 227	N 24° 55.527" E 084° 12.577"		1 से 6, 10		50
							मोहम्मदांज	हुसैनाबाद	डलाकला	हुसैनाबाद- 555	N 24° 68.587" E 084° 96.587"		1, 2		100
1	मेदिनीनगर वन प्रमाणल						छतरपुर पूर्वी	छतरपुर	तेलारी	छतरपुर- 266	N 24° 19'304" E 84° 55.2"		76, 77, 78, 79, 243		50
							चैनपुर	रामगढ़	मुसरमु	डालटनगंज- 149	N 23° 49'8.24" E 84° 02'16.40"		776		100
							पाटन	पाटन	सूरा	पाटन- 293	N 24° 7'4" E 84° 13'43"		1860		50
							मोहम्मदांज	विश्रामपुर	आरापुर	विश्रामपुर- 119	N 24° 14.178" E 084° 02.346"		295, 297, 296, 299, 300, 301, 302		100
लातेहर वन प्रमाणल															
2	बालूमाथ	हेरहंज	माईमल	बालूमाथ- 24	N 23° 57' 34.0" E 84° 44'08.7"		392, 542			50					
	बालूमाथ	हेरहंज	हुम्बू	बालूमाथ- 92	N 23° 53'9.761" E 84° 43'14.822"		317, 321			50					
	रियुधुटा	किस्को	उलदाग	लोहरदगा- 110	N 23° 39' 21.625" E 84° 36'35.048"		85, 93, 97, 119, 110, 145			50					
	मनिका प्रादेशिक	मनिका	बरवैया कला	लातेहर- 134	N 23° 57' 34.0" E 84° 44'08.7"		1, 2 3पी, 4पी			50					
	मनिका प्रादेशिक	मनिका	दासडीह	लातेहर- 105	N 23° 48' 919" E 84° 19'273"		136, 137, 138, 139पी, 140			50					
	मनिका प्रादेशिक	मनिका	देवबार	लातेहर- 175	N 23° 47'19.746" E 84° 23'28.832"		23, 24, 25, 26, 29			50					

चंदवा	चंदवा	बोदा	बालूमथ- 269	N 23° 38' 55.0" E 84° 43' 17.8"	8, 118, 82, 178	50
लातेहर	लातेहर	मांसा	बालूमथ- 166	N 23° 47' 46.61" E 84° 34' 50.55"	33, 34, 35, 32, 31	50
रंका परिच्छी	रंका	सोराशाम	रंका- 77	N 23° 02' 10" E 84° 47' 45"	3, 11, 16, 17, 18, 22, 26	50
रंका	डोल	डोल	रंका- 01	N 24° 03' 41" E 83° 32' 39"	692, 705, 742, 752, 1311 से 1315	50
रंका पूर्वी	रंका	दूर्जन	रंका- 142	N 23° 49' 45" E 83° 44' 40"	35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46	50
गढ़वा प्रमण्डल	रंका	करी	रंका- 43	N 23° 54' 06" E 83° 41' 36"	1 से 7, 26, 30 से 34, 42, 73 से 77, 95, 110, 119, 125, 126, 127	50
गढ़वा दक्षिणी वन	रंका	बरवाही	रंका- 42	N 23° 52' 01" E 83° 42' 14"	619 से 627, 661, 1, 2, 20, 21 से 24	50
भण्डरिया	गड़िया	रंका- 194		N 23° 40' 44" E 83° 44' 47"	648, 649, 654, 682 से 685, 750, 751, 753, 668 से 681	50
भण्डरिया	रोदो	रंका- 171		N 23° 48' 09" E 83° 52' 26"	291, 292, 807, 782 से 802	50
भण्डरिया	जोहोरीखाड़	रंका- 168		N 23° 46' 25" E 83° 50' 18"	1 से 7, 13, 14, 16, 67 से 82	50
	गोमा					400
गढ़वा	गढ़वा	ओबरा / भटुआ	गढ़वा / 371 / 427	N 24° 3' 38.13" E 83° 48' 36.63"	1596, 1596 / 185, 186, 189, 190	50
भवनाथपुर	भवनाथपुर	अरसली	भवनाथपुर / 56	N 24° 21' 14.06" E 83° 36' 10.48"	2263, 546, 547, 555, 2423, 2412	175
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल	नार	कुम्भाखुर्द	गढ़वा / 03	N 24° 19' 0.01" E 83° 25' 34.53"	1 से 18	85
भवनाथपुर	भवनाथपुर	वनसपानी	भवनाथपुर / 15	N 24° 22' 51.61" E 83° 32' 39.58"	2122, 2123	90
	गोमा					400

प्रधान मुख्य वन संरक्षण, निरापद
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चारू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या - 01/YB-25/2018/1268

दिनांक -

08-Oct-2

क्रमांक	विप्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविकल्चर औपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	61314	PLMFOR070 NAresh CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR OREST.DIV.	11,869,000.00 रुपये एक करोड़ अठारह लाख सौ छह लाख छह लाख छह हजार
2	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविकल्चर औपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	61315	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	9,495,200.00 रुपये चौरानवे लाख पिनचानवे हजार दो सौ
3	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविकल्चर औपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	61316	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	9,495,200.00 रुपये चौरानवे लाख पिनचानवे हजार दो सौ

योगः

30,859,400.00

क्रमिक योगः

रुपये तीन करोड़ आठ लाख उनसठ हजार चार सौ

PCCF(DA/DHARKHAND)RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101400103	61317	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	9,495,200.00 रुपये चौरानवे लाख पिंचानवे हजार तीन सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी			
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
	40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन			
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)			
	Central Scheme : NA			
5	S 19 240601101400323	61320	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O. MEDININAGAR. OREST.DIV.	6,621,500.00 रुपये छाछठ लाख इक्कीस हजार पाँच सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी			
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
	40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)			
	Central Scheme : NA			
6	S 19 240601101400323	61321	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	5,297,300.00 रुपये बावन लाख सित्तानवे हजार तीन सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी			
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
	40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)			
	Central Scheme : NA			
योग:				21,414,000.00
क्रमिक योग:				52,273,400.00
 (SHRI SATNAM SINGH) PCCF, DIBBADHAKHANHIS (RANCHI)				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601101400323	61322	GRHFWL004	5,297,300.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SR ARVIND KUMAR	रुपये बाबन लाख सित्तानवे हजार तीन सौ
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण		D.F.O. SOUTH	
	40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन		DIV.GARHWA	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)		
	Central Scheme :	NA		
8	S 19 240601101400323	61323	GRHFWL001	5,297,300.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		ASHOK KUMAR DUBEY	रुपये बाबन लाख सित्तानवे हजार तीन सौ
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण		D.F.O. NORTH DIV.	
	40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन		GARHWA	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)		
	Central Scheme :	NA		

योग:

10,594,600.00

क्रमिक योग:

62,868,000.00

रुपये छ: करोड अठाइस लाख अडसठ हजार

PCCF, DEO, DHARMAHATTA, RANCHI

(SHRI SATNAM SINGH)